

फार्म वर्ष 2020

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

कनिष्ठ (14/1/15)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन : 52,000/- + 1,67,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1. 08.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
317 ट' एलाक वसुन्धरा सुरेन्द्र पैलेर ओवाल (मिथुन)	फ्लैट	-	17,000 (अप्रैल 2020)	स्व. पति के नाम पर है भूतनाम पर है तारीख नही हुआ है।	वर्ष 1994 में स्टैट बैंक ऑफ इंडिया में भूतनाम से खरीदा गया था।	भांडारिक व्यक्तिगत में कारणों से अन्वयनियोग से मिली है। स्वयं यह फ्लैट अर्जित कर दिया गया।	

21/11/2020

हस्ताक्षर
नाम
पद
विभाग

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तारीख और मूल्य का उल्लेख करते हुए अर्जित किया गया है।
यदि कोई अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का मूल्य काटने का प्रयत्न करेगा तो उसे अर्जित मूल्य के अतिरिक्त अर्ध शतक का जुर्माना देना होगा।